सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 25, गुरूवार, शाके 1944-मार्च 16, 2023
Phalguna 25, Thursday , Saka 1944- March 16, 2023

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2023

जी.एस.आर.142 :-भारत के संवि धान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष "राजस्थान विधान सभा सचिवालय सेवा" के अधीन,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 20 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

20.	मार्शल	100 % पदोन्नति द्वारा; या सरकारी नियमों/ अनुमोदन के अनुसार किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति/ विशेष चयन द्वारा।	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	अतिरिक्त मार्शल	वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर।	(क) अध्यक्ष द्वारा गठित की गयी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर पदोन्नति की जायेगी। पद के लिए उपयुक्तता निर्णीत करने के प्रयोजन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति, अभ्यर्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन और अन्य सेवा अभिलेखों पर विचार करेगी। (ख) स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति/ विशेष चयन के माध्यम से नियुक्ति के

						मामलों में, राजस्थान पुलिस सेवा के चयन वेतनमान (L-19) में वेतन आहरित करने वाले और राजस्थान पुलिस सेवा के चयन वेतनमान (L-19) पद पर कार्य करने का 5 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले अधिकारी के पद से।

”

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित क्रम संख्यांक 20 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात और विद्यमान क्रम संख्यांक 21 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 20क और 20ख तथा उनकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“

20क.	अतिरिक्त मार्शल	100% पदोन्नति द्वारा; या सरकारी नियमों/ अनुमोदन के अनुसार किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति/ विशेष चयन द्वारा।	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	उप मार्शल	वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर।	(क) अध्यक्ष द्वारा गठित की गयी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर पदोन्नति की जायेगी। पद के लिए उपयुक्तता निर्णीत करने के प्रयोजन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति, अभ्यर्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन और अन्य सेवा अभिलेखों पर विचार करेगी। (ख) स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति/ विशेष चयन के माध्यम से नियुक्ति के मामलों में, राजस्थान पुलिस सेवा के चयन वेतनमान (L-16) में वेतन आहरित करने वाले और राजस्थान पुलिस सेवा के चयन वेतनमान (L-16) पद पर कार्य करने का 5 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले अधिकारी के पद से।
20ख.	उप मार्शल	100% पदोन्नति द्वारा; या सरकारी नियमों/अनुमोदन के अनुसार किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	सहायक मार्शल	वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर।	(क) अध्यक्ष द्वारा गठित की गयी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर पदोन्नति की जायेगी। पद के लिए उपयुक्तता निर्णीत करने के प्रयोजन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति, अभ्यर्थी के वार्षिक

		स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति/ विशेष चयन द्वारा।				कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन और अन्य सेवा अभिलेखों पर विचार करेगी। (ख) स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति/ विशेष चयन के माध्यम से नियुक्ति के मामलों में, राजस्थान पुलिस सेवा के चयन वेतनमान (L-14) में वेतन आहरित करने वाले और राजस्थान पुलिस सेवा के चयन वेतनमान (L-14) पद पर कार्य करने का 5 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले अधिकारी के पद से।

"

[सं.एफ.8(1)संसद/2009]
राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department
NOTIFICATION
Jaipur, March 16, 2023

G.S.R.142 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan, after consultation with the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, hereby please to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In schedule appended to the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, under the heading Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service,-

(i) the existing serial number 20 and entries thereto shall be substituted by the following, namely: -

"

20.	Marshal	100% by promotion or by transfer/	5 years experience on the post mentioned	Additional Marshal	on the basis of seniority cum	(a) Promotion shall be made on the recommendations made by the Departmental Promotion Committee

		deputation/ special selection for a specified period as per Government rules/ approval	in column 5.		merit.	constituted by the Speaker. For the purpose of judging the suitability for the post, the Departmental Promotion Committee shall consider the Annual Performance Assessment Report and other service records of the candidate. (b) In cases of appointment through transfer/deputation /special selection from the post of officer drawing pay in selection scale (L-19) of the Rajasthan Police Service and having not less than 5 year of working experience on the selection scale (L-19) post of the Rajasthan Police Service.

"

(ii) after the serial number 20 and entries thereto, so substituted and before the existing serial number 21 and entries thereto, the following new serial number 20A and 20B and entries thereto shall be inserted, namely:-

"

20A.	Additional Marshal	100% by promotion or by transfer/ deputation/ special selection for a specified period as per Government rules/approval	5 years experience on the post mentioned in column 5	Deputy Marshal	on the basis of seniority cum merit.	(a) Promotion shall be made on the recommendations made by the Departmental Promotion Committee constituted by the Speaker. For the purpose of judging the suitability for the post, the Departmental Promotion Committee shall consider the Annual Performance Assessment Report and other service records of the candidate. (b) In cases of appointment through transfer/ deputation /special selection from the post of officer drawing pay in selection scale (L-16) of the Rajasthan Police Service and having not less than 5 year of working experience on the selection scale (L-16) post of the Rajasthan Police Service.

20B.	Deputy Marshal	100% by promotion or by transfer/ deputation/ special selection for a specified period as per Government rules/approval	5 years experience on the post mentioned in column 5	Assistant Marshal	on the basis of seniority cum merit.	(a) Promotion shall be made on the recommendations made by the Departmental Promotion Committee constituted by the Speaker. For the purpose of judging the suitability for the post, the Departmental Promotion Committee shall consider the Annual Performance Assessment Report and other service records of the candidate. (b) In cases of appointment through transfer/deputation /special selection from the post of officer drawing pay in ordinary scale (L-14) of the Rajasthan Police Service and having not less than 5 year of working experience on the ordinary scale (L-14) post of the Rajasthan Police Service.

"

[No. F.8 (1)Sansad/2009]
By order of the Governor,

Gyan Prakash Gupta,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.